

प्रेषक,

अतुल कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

रोधा में,

✓ समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग

लखनऊः दिनांक 14 फरवरी 2009

विषय: मध्याह्न भोजन योजनान्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में किचेन कम स्टोर निर्माण / विस्तारीकरण हेतु धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक—म0भ00प्रा0/11834/2008-09 दिनांक 22.1.2009 के संदर्भ में सुझे आपसे यह कहने का निवेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं प्रिवेटीय प्राथमिक विद्यालयों में संलग्न विवरण अनुसार 17086 अवद किचेन कम स्टोर का निर्माण / विस्तारीकरण शासन द्वारा मानकीकृत आगणन एवं मानचित्र (संलग्न) के अनुसार किए जाने हेतु रुपये 50,000/- प्रति किचेन की दर पर कुल रुपये 1,00,80,74,000/- (रुपये एक अरब अस्ती लाख छौहतर हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने पर श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— रवीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर किचेन कम स्टोर के निर्माण पर व्यय करने हेतु ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करायी जायेगी जिनके द्वारा उनके क्षेत्र सीमा में आने वाले उक्त विद्यालयों में किचेन कम स्टोर का निर्माण / विस्तारीकरण कराया जायेगा। इस धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। उक्त धनराशि का व्यय ग्राम शिक्षा समिति द्वारा नियंत्रित की जायेगा।

1— भारत सरकार के पत्र दिनांक—23.1.2008 एवं 30.1.2008 में निहित शर्तों से एम0र्डी0एम0 की गाइडलाइन्स में दिए गए निर्देशों के अनुसार किचेन कम स्टोर का निर्माण सुनिश्चित किया जाय।

2— किचेन कम स्टोर का निर्माण / विस्तारीकरण शासन द्वारा इस हेतु मानकीकृत आगणन एवं मानचित्र के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु मानकीकृत आगणन एवं मानचित्र के आदेश पूर्व में निर्माण किए जा दुकें हैं।

3— उक्त धनराशि को अलग से लेखा रखा जायेगा तथा धनराशि का व्यय अन्य किसी योजना में नहीं किया जायेगा।

4— जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विकासखण्ड के चयनित विद्यालयों को अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा। जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि चयसित विद्यालयों में जड़ों किचेन शेड का निर्माण प्रस्तावित है किचेन शेड निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त पानी की व्यवस्था है तथा अधिक छात्र नामांकन के विद्यालय की वरिष्ठता प्रदान की जा रही है अन्य योजनाओं में पूर्व से निर्गत किचेन शेड का विस्तारीकरण मध्याह्न भोजन योजना के मानकों के अनुसार किया जायेगा।

5— जिलाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन विद्यालयों में अन्य किसी योजनान्तर्गत किचेन कम स्टोर का निर्माण किया जाना प्रत्यावित हो तो उन विद्यालयों में इस योजनान्तर्गत किचेन कम स्टोर का निर्माण न किया जाये।

6— किचेन कम स्टोर स्कूल की कक्षाओं से अलग होगा। यह सामान्य रूप से विद्यालय परिसर के अन्दर शिक्षण कक्षों से कुछ दूरी पर स्थापित किया जायेगा, परन्तु पहुँच के अंतर्गत होगा। किचेन शेड हवादार बनाये जायेंगे, उनमें अलग-अलग भाण्डारण सुविधा होगी तथा ताले खो बढ़ करने का प्रबंध किया जायेगा।

7—किंचन का निर्माण प्रत्येक जनपद को आवंटित राख्या के अनुसार किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा नियमनुसार व्यय धनराशि का उपशोग प्रमाण पत्र प्रत्येक लैमास में निदेशक मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा।

3— उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-71 के अधीन लेखा शीषक 2202-सामान्य शिक्षा-01-प्रारम्भिक शिक्षा-आयोजनागत-102-अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ-08-मिड-डे-मील योजना-20-सहायता अनुबाद औशतान्/राज्य सहायता के नाम ढाला जायेगा।

3— यह आवेदन वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-11 की अशासकीय संख्या-398/दस-2009 दिनांक-13.2.09 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,

२८८

(अतुल कुमार)

विशेष सचिव ।

पृष्ठांकन समसंख्यक(1)तात्परिका

प्रतिलिपि निष्कलिषित को सूचनार्थ एवं आवंटित कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- 1— महालेखाकार, ७०प्र०, इलाहाबाद।
- 2— निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, ७०प्र०, लखनऊ।
- 3— समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4— समस्त शिक्षा वेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5— समस्त भण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वेसिक) उत्तर प्रदेश।
- 6— समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, वेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
- 7— वरिष्ठ शोध अधिकारी, शिक्षा विभाग।
- 8— नियोजन विभाग अनुभाग-४, ७०प्र० शासन।
- 9— वित्त ई-१, अनुभाग, ७०प्र० शासन।
- 10— बजट अनुभाग-२, ७०प्र० शासन।
- 11— वित्त नियन्त्रक, वेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
- 12— गार्ड फाइल।

आज्ञायके,

(रमेश चन्द्र घिल्डयाल)

संयुक्त सचिव ।

२१ अक्टूबर १९० / ३३ - ६ - २००९ - १ (३) २००५ - १४-२-०७ अंत अंतर्गत

Districtwise Allocation for Kitchen Shed/Kitchen Shed Expansion

S.No.	Districts / V	Total No. of Total Govt + Local Schools (Classes I- VII)	No. of Kitchen shed/Kitchen expansion schools not having kitchen shed allotted during 2006-07	Total no. of Kitchen shed	no. of Proposed Allocation Scheme	(For Primary Schools) no. of Fund allocation @ Rs. 59,800 per kitchen shed (In Lac.)
1	2	3	4	5=3+4	6	7
1	Agra	1914	472	1142	105	51.95
2	Allगढ़ी	1532	634	948	114	67.26
3	Allahabad	2312	1354	958	400	236
4	Ambedkar Nagar	1317	698	619	74	43.66
5	Auraya	1095	605	490	59	34.81
6	Azamgarh	2208	1402	806	97	57.23
7	Badaun	2113	743	1370	0	0
8	Baghpat	529	218	311	37	21.83
9	Bahraich	2449	855	1594	191	112.83
10	Ballia	1915	737	1173	141	83.19
11	Baldanpur	1268	840	528	75	44.25
12	Banda	1350	489	861	782	461.38
13	Barabanki	2226	1028	1198	144	84.96
14	Bareilly	2111	943	1158	120	62.6
15	Basti	1596	746	850	774	456.66
16	Bhadohi	715	350	365	190	112.1
17	Bijnor	1717	359	1358	163	96.17
18	Bulandshahar	1616	993	617	0	0
19	Chandauli	989	628	361	60	35.4
20	Chitrakoot	964	321	643	141	83.19
21	Deoria	1732	776	956	865	510.35
22	Eran	1229	1047	182	76	44.84
23	Fazabad	1127	544	583	70	41.3
24	Farrukhabad	1168	590	578	69	40.71
25	Fatehpur	1738	1024	714	86	50.74
26	Firozabad	1370	422	248	150	86.5
27	Gautambudh Nagar	532	158	374	45	26.53
28	Ghazipur	1756	903	853	853	503.27
29	Ghaziyabād	799	381	418	50	26.53
30	Gonda	1896	604	1292	1148	677.34
31	Gorakhpur	2031	869	1162	944	556.96
32	Hameerpur	851	463	388	0	0
33	Hardoi	2530	1674	856	103	50.77
34	Hathras	1008	356	652	78	46.02
35	Hawai	1224	491	733	730	460.2
36	J.P. Nagar	1103	255	848	102	50.18
37	Jalaun	1303	310	993	119	70.24

Districwise Allocation for Kitchen Shed/Kitchen Shed Expansion

(For Primary Schools)

S.N.O.	Districts	Total No. of Total	No. of Kitchen	Total no. of schools not having kitchen from MDM	no. of Proposed	no. of OffFund allocation @ Rs. 50,000 per kitchen shed (In Lac)
		Govt.+Local	Body shed/Kitchen expansion schools (Classes allotted during 2006-07	Scheme	allocation being made	
				5-(3+4)	6	7
1	2	3	4	5-(3+4)	6	7
28	Jaunpur	2131	1456	675	675	398.25
39	Jhansi	1134	657	524	53	37.17
40	Kannauj	1164	489	675	81	47.79
41	Kanpur Dehat	1650	951	699	597	352.23
42	Kanpur Nagar	1164	221	923	63	37.17
43	Kashiram Nagar	905	0	905	109	54.34
44	Kaushambi	963	648	315	38	22.42
45	Kushinagar	1903	559	1334	1182	597.38
46	Lakimpur Khan	2241	553	1288	154	90.86
47	Lakhimpur	945	291	655	157	92.63
48	Lucknow	1286	514	772	92	54.28
49	Mahoba	690	395	295	35	20.65
50	Mahalganj	1363	913	450	357	210.63
51	Mau	1588	304	1284	154	90.86
52	Mathura	1308	409	399	108	63.72
53	Mau	1095	484	611	0	0
54	Meerut	910	361	349	66	38.94
55	Mirzapur	1475	837	538	76	44.84
56	Muzaffarnagar	1923	583	1240	1240	731.6
57	Muzaffarnagar	1371	782	587	70	41.3
58	Pilibheet	1289	479	790	95	56.05
59	Pratapgarh	1764	1219	545	65	38.35
60	Rai Bareily	1805	984	821	98	57.82
61	Rampur	1259	265	994	35	20.65
62	Saharanpur	1286	592	694	83	48.97
63	Sant kabir Nagar	935	318	617	532	313.88
64	Sahibganjpur	2198	611	4587	86	50.44
65	Sikar	882	530	352	42	24.78
66	Siddharthanagar	1896	620	1076	928	547.52
67	Sitapur	2693	2194	493	218	128.52
68	Sonbhadra	1378	614	764	92	54.28
69	Sultanpur	2314	517	797	95	56.05
70	Unnao	2113	1110	1003	120	70.8
71	Varanasi	1004	544	457	55	32.45
	Total	105,233	48,804	56,629	17,986	10,080.74